

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी  
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY



(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)  
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)

प्रशासन अनुभाग

सं. मानू/प्रशासन/एफ.120/2021-22/1171

दिनांक. 27.07.2021

कार्यालय आदेश

**विषय-** मानू-प्रशासन- दिनांक 01.07.2021 तत्काल प्रभाव से महँगाई भत्ते की संशोधित दरों पर भुगतान के संबंध में-आदेश जारी।


- संदर्भ-** 1. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं.1/1/2020-ई.II (बी), दिनांक 20.07.2021 को जारी।  
2. दिनांक २३.७.२१ कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित।

\*\*\*\*

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत संशोधित वेतनमान के अनुसार वेतन पा रहे, मानू के कर्मचारियों को महँगाई भत्ते के भुगतान हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो 17% की मौजूदा दर से 28% की बढ़ी हुई दर पर तत्काल प्रभाव से दिनांक 01 जुलाई, 2021 के वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में उद्धृत है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 2/5/2017-ई.II(बी) दिनांक 07.07.2017 के पैरा 3 के अनुसार मकान किराया-भत्ता भी संशोधित किया जा सकता है।

#आदेशानुसार#

  
प्रभारी कुलसचिव

सेवा में  
वित्त अधिकारी(संदर्भ के अंतर्गत कार्यालय ज्ञापन की प्रति के साथ)

सभी अध्यक्ष/संकायों के संकायाध्यक्ष/केन्द्रों तथा निदेशालय के निदेशक  
सभी विभागों/अनुभागों के विभागाध्यक्ष/प्रभारी (शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक)  
सभी आर.सी., एस.आर.सी., सीटीई, पॉलीटेक्नीक, आईटीआई, मॉडल स्कूल,  
सैटलाइट कैम्पस आदि।

कृपया इसे नोट करें और कर्मचारियों को सूचित करें।

प्रति

1. कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय
2. निदेशक डीडीई/ परीक्षा नियंत्रक
3. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
4. उर्दू अनुवाद हेतु उर्दू अधिकारी/ हिन्दी अनुवाद हेतु हिन्दी अधिकारी
5. संबंधित मिसिल